REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1774]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939
No. 1774]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASADHA 2, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

का.आ.1993(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
402	161एए	तेलंगाना राज्य में संगारेड्डी के निकट रारा-161 के साथ अपने जंक्शन से प्रांरभ होकर नरसापुर,
		तूपरतान, गजवेल, प्रगनापुर, जगदेवपुर, भोनगिर को जोड़ने वाला और छोटूप्पल के निकट रारा-65
		के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
403	61विस्तारित	महाराष्ट्र राज्य में कल्याण के निकट रारा-160 भिवंडी के साथ अपने जंक्शन से प्रांरभ होकर
		मुरबाद, अले, अहमदनगर, शेवगांव, गेवरई, माजलगांव, परभानी, नांदेड, भोकर, तेलंगाना राज्य में
		निर्मल, खानपुर, मल्लापुरम, रायकल को जोड़ने वाला और जगितयाल के निकट रारा-63 के साथ
		अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
404	161बीबी	तेलंगाना राज्य में मदनूर के निकट रारा-161 के साथ अपने जंक्शन से प्रांरभ होकर सोनला, थाड़ी
		हिप्पेरगा, लिम्बूर, सिरपुर, पोतांगल, कोटागिरि, रुद्रूर को जोड़ने वाला और बोधन के निकट रारा-
		63 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/8/2016-पीएंडएम (पार्ट-I)]

माया प्रकाश निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पणी: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ)**,** दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1796 (अ), दिनांकित 6 जून, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2017

S.O.1993 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New National Highway	Description of National Highways
	No.	
(1)	(2)	(3)
402	161AA	The highway starting from its junction with NH No. 161 near Sangareddy and connecting Narsapur, Tooprtan, Gajwel, Pragnapur, Jagdevpur, Bhongir and terminating at its junction with NH-65 near Choutuppal in the State of Telangana.
403	61 Extended	The highway starting from its junction with NH 160 Bhiwandi near Kalyan connecting Murbad, Ale, Ahmadnagar, Shevgaon, Gevrai, Majalgaon, Parbhani, Nanded, Bhokar in the State of Maharashtra connecting Nirmal, Khanapur, Mallapuram, Raikal and terminating at its junction with NH-63 near Jagityal in the State of Telangana.
404	161BB	The highway starting from its junction with NH 161 near Madnoor and connecting Sonala, Thadi Hipperga, Limboor, Sirpur, Pothangal, Kotagiri, Rudrur and terminating at its junction at NH-63 near Bodhan in the State of Telangana

Table

[F. No. NH-14012/8/2016-P&M](Pt-I)] MAYA PRAKASH, Director. (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification no. 1796(E) dated 6th June, 2017.